भारत का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

विषय सूची

1. स्वाधीनता से पहले का कालखंड

1.1 वीर सावरकर योगदान
1.2 कांग्रेस में मंथन

2. स्वाधीनता के बाद का कालखंड

2.1 संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज
2.2 ध्वजारोहण संबंधी नियम
2.3 संघ का राष्ट्रीय ध्वज के प्रति समर्पण
2.4 वामपंथियों एवं कांग्रेसियों की राष्ट्रीय ध्वज विरोधी प्रमुख घटनाए

1
स्वाधीनता से पहले का कालखंड

वीर सावरकर का योगदान

वर्ष 1906 में ब्रिटिश सरकार की कुख्यात बंगाल विभाजन योजना के विरुद्ध उस दौर के नेताओं के मन में भारतीय ध्वज बनाने की एक कल्पना सूझी। उन्हें ध्वज के माध्यम से प्रत्येक भारतीय नागरिक में राष्ट्रीय चेतना और संगठित होने भावना को फिर से जागृत करना था। हालाँकि, इससे पहले भी भारत में कई प्रकार के ध्वज प्रचलन में थे, जिसमें सबसे प्रमुख केसरिया रंग का ध्वज है। मगर, इसबार भारतीय नेताओं ने तात्कालिक परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों, सम्प्रदायों और पंथों को एकजुट करने के उद्देश्य से एक नए प्रकार के ध्वज पर विचार किया जोकि ब्रिटिश औपनिवेशवाद से लड़ने का प्रतीक बन जाए।

बंगाल विभाजन पूर्णतः भारत को सांप्रदायिक रूप से तोड़ने की योजना थी। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए एक अलग मुस्लिम बहुल प्रान्त बनाने का निर्णय लिया था लेकिन तब बंगाल में एकता का आभाव था।[1] इसलिए एक ऐसे ध्वज का प्रयोग किया गया जिसमें सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व शामिल हो। यह ध्यान में रखते हुए, भारत के पहले तिरंगे ध्वज का निर्माण किया गया, जिसके सबसे ऊपर लाल रंग की एक पट्टी पर आठ खिलते कमल के चिह्न, बीच की पट्टी में पीले रंग पर देवनागरी लिपि में बंदेमातरम लिखा गया और अंत में हरा रंग, जिसके बायीं तरफ सूर्य और दायी तरफ चंद्रमा अंकित था। इस ध्वज के निर्माता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के सहयोगी एवं क्रांतिकारी, सचिन्द्रप्रसाद घोष और सुकुमार मित्र थे।

ब्रिटिश सरकार ने 20 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की तारीख तय की थी। अतः सरकार के खिलाफ भारत के पहले ध्वज को फहराने का इससे अच्छा और कोई दिन नहीं हो सकता था। इसलिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा यह ध्वज बंगाल के यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज में सर्वप्रथम फहराया गया। कुछ लेखकों का ऐसा भी मानना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के 1907 में आयोजित कलकत्ता (अब कोलकाता) अधिवेशन में भी इस ध्वज को प्रदर्शित किया गया था।[2] इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नैरोजी कर रहे थे। अधिकारिक रूप से कांग्रेस ने इस ध्वज को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि इस वर्ष की कांग्रेस अधिवेशन रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र उपलब्ध नहीं है। यानि इसे वहां फहराया नहीं गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध देशभर में आक्रोश अपने चरम

[1] सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग, ऑक्सफोर्ड : लंदन, 1925, पृष्ठ 184

[2] बिनॉय जीबन घोष, रिवोल्ट ऑफ 1905 इन बंगाल, जीएई पब्लिशर्स : कलकत्ता 1987, पृष्ठ 100

पर था, और दूसरी ओर उसी वक्त कांग्रेस का अधिवेशन भी बंगाल में हुआ, तो कांग्रेस ने ध्वज को मात्र प्रदर्शनी के लिए स्थान दिया होगा।

इसी बीच, इस ध्वज की गूंज लंदन स्थित इंडिया हाउस में भी पहुँच गयी। डॉ. भूपेन्द्रनाथ दत्ता ने अपनी पुस्तक 'भारतेर द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम' में ध्वज के लन्दन पहुँचने की कहानी इस प्रकार लिखी है, "बडौदा राज्य की सेना के जनरल माधव राव के क्रन्तिकारी भाई, खासी राव सैनिक प्रशिक्षण के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। वे अपने साथ कलकत्ता झंडे की एक प्रतिकृति ले गए थे। जिनेवा में उनकी हेमचन्द्र कानूनगो से मुलाकात हुई।"[3]

हेमचन्द्र कानूनगो ने उस ध्वज की मूल प्रति इंडिया हाउस में श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर को दी। वहां महूसस किया गया कि इस ध्वज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलानी चाहिए लेकिन उससे पहले इसमें कुछ बदलाव भी जरुरी समझे गए। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा कलकत्ता में फहराए ध्वज के पहली पट्टी के लाला रंग, कमल, बंदेमातरम, सूर्य और चंद्रमा को यथास्थान पर रखा गया था। बाकि नए ध्वज में पीले और हरे रंग के स्थानपर क्रमशः केसरिया और नीले रंग को अपनाया गया।[4]

बिनॉय जीबन घोष की पुस्तक 'रिवोल्ट ऑफ 1905 इन बंगाल' के अनुसार इस ध्वज को पेरिस में रह रहे एक क्रांतिकारी हेमचन्द्र कानूनगो ने बनाया था।[5] जबकि धनंजय कीर का कहना है कि ध्वज के रचनाकार वीर सावरकर थे। इस सन्दर्भ की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है, "मैडम कामा को वीर सावरकार ने ही क्रन्तिकारी सरदार सिंह राणा के साथ जर्मनी के एक शहर - श्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लेने भेजा था।"[6]

यह सर्वविदित है कि मैडम कामा ने वहां भारत की स्वाधीनता के प्रतीक के रूप में उस ध्वज को फहराया था। उन्होंने ध्वज फहराने के साथ वहां एक भाषण देते हुए कहा, "भारत में ब्रिटिश शासन की मौजूदगी एकदम विनाशकारी और भारतीयों के अपने हितों के लिए अत्यंत हानिकारक है। दुनियाभर में स्वतंत्रता प्रेमियों को इस उत्पीड़ित देश में रहने वाली मानव जाति के पांचवें हिस्से को दासता से मुक्ति दिलाने में सहयोग करना चाहिए।"[7]

हेमचन्द्र कानूनगो, वीर सावरकर के सहयोगी थे। वीर सावरकर ने ही उन्हें और पांडुरंग महादेव सेनापति को बम बनाने की प्रक्रिया सीखने के लिए रूस भेजा था। वहां से बम बनाने कि तकनीक समझकर यह दोनों 1908 में भारत आये और बंगाल के क्रांतिकारियों को बम बनाने का रुसी

---

[3] पृष्ठ 155

[4] हेमचन्द्र कानूनगो, बंगाली बिप्लोब प्रचेस्ता, कमला बुक डिपो : कलकत्ता, 1928, पृष्ठ 205

[5] बिनॉय जीबन घोष, रिवोल्ट ऑफ 1905 इन बंगाल, जीएई पब्लिशर्स : कलकत्ता 1987, पृष्ठ 101

[6] धनञ्जय कीर, वीर सावरकर, पॉपुलर प्रकाशन : नई दिल्ली, 1966, पृष्ठ 38

[7] आरसी मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, खंड 2, फिर्मा केएलएम : कलकत्ता, 1975, पृष्ठ 302

तरीका समझाया। इन क्रांतिकारियों में बरिंदर घोस, प्रफुल्ल चक्रवर्ती और नरेन्द्र गुसाई जैसे नाम शामिल थे। क्रांतिकारी होने के साथ-साथ हेमचन्द्र कानूनगो एक अच्छे कलाकार भी थे। इसलिए कीर के तथ्य में इसकी अधिक स्पष्टता है कि सावरकर के ही निर्देश अथवा सुझाव पर कानूनगो ने ध्वज तैयार किया होगा।

मैडम कामा को उनकी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के चलते भारत से निर्वासित किया हुआ था। अतः वे यूरोप में चली गयी और वहां की ब्रिटिश-विरोधी संस्थाओं - विशेषकर इंडिया हाउस से जुड़ गयी। यहाँ उनकी मुलाकात विनायक दामोदर 'वीर' सावरकार से हुई और वे वीर सावरकर द्वारा स्थापित क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था - अभिनव भारत की भी सदस्य बन गयी थी।

कानूनगों और कीर दोनों के तथ्यों के केंद्रबिंदु में वीर सावरकार आते है। मैडम कामा के वीर सावरकर से संपर्क और ध्वज की संरचना की स्पष्ट विवेचना धनजंय कीर ने अपनी पुस्तक में लिखी है। जबकि जीबन घोष ने कानूनगो को आगे रख वीर सावरकर के अप्रत्यक्ष योगदान का विश्लेषण किया है।

इतिहास की पुस्तकों में वीर सावरकर द्वारा भारतीय स्वाधीनता के इस अभूतपूर्व प्रयास को बहुत कम वर्णित किया गया है। इसके अलावा, जहाँ भी भारत के इस पहले ध्वज का जिक्र मिलता है, वहां मात्र यह कह दिया जाता है कि 'इंग्लैण्ड एवं फ्रांस में निर्वासित भारतीयों के मस्तिष्क में भारतीय ध्वज की कल्पना सर्वप्रथम 1906 में आई थी'। यानि एक प्रकार ऐसा लगता है कि वीर सावरकर का नाम से जानबूझकर छुपाया गया। जबकि यह सब जानते है कि उस दौर में इंग्लैण्ड और फ्रांस में निर्वासित भारतीयों अथवा क्रांतिकारियों का नेतृत्व पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनके बाद वीर सावरकर कर रहे थे।

मैडम कामा द्वारा बर्लिन में फहराए ध्वज से वीर सावरकर हमेशा जुड़े रहे। उन्होंने कभी उसकी समृतियों को ओझल नहीं होने दिया। इस ध्वज कि मूल प्रति मैडम कामा ने अपने पास सुरक्षित राखी थी। वर्ष 1936 में अपने निधन से पहले उन्होंने इस मूल प्रति को अपने सहयोगी माधव राव को सौंप दिया। बाद में उसे इन्द्रलाल याग्निक अन्य क्रन्तिकारी दस्तावेजों के साथ भारत ले आये।

वर्ष 1937 में वीर सावरकर ने रत्नागिरी में नजरबंदी से रिहा होने के बाद सबसे पहले इंडिया हाउस के इसी तीन रंगों वाले मूल ध्वज (तिरंगा) को रत्नागिरी पॉलिटिकल कांफ्रेंस में फहराया था।[8] एकबार फिर, उन्होंने अक्टूबर 1937 के अंतिम सप्ताह में इस ध्वज को पूना (अब पुणे) में फहराया।[9]

वास्तव में यह आधुनिक भारत का पहला तिरंगा ध्वज था, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली। जिसका संस्मरण स्वाधीन भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा जालंधर से प्रकाशित एक समाचार-पत्र 'आकाशवाणी' में 11 दिसंबर 1949 को किया गया था। उस अंक

[8] धनञ्जय कीर, वीर सावरकर, पॉपुलर प्रकाशन : नई दिल्ली, 1966, पृष्ठ 222

[9] उक्त, पृष्ठ 229

में इस ध्वज की तस्वीर के साथ 'आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रध्वज' के शीर्षक के नीचे लिखा था, "प्रसिद्द क्रन्तिकारी भारतीय महिला मैडम कामा ने सर्वप्रथम 1907 में बर्लिन की एक सभा में इसे भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में उपस्थित किया था। मध्य में नागरी अक्षरों में अंकित 'बंदेमातरम' शब्द विदेशी शासन के उन क्रूर दिनों में जान हथेली पर लिए मारे-मारे फिरने वाले राष्ट्रभक्तों के चुनाव को सूचित करते है।" समाचार-पत्र में ध्वज के साथ-साथ राष्ट्रीय गान, जन-गण-मन और राष्ट्रिय गीत, बंदेमातरम को भी प्रकाशित किया था। (देखे, तस्वीर 1)

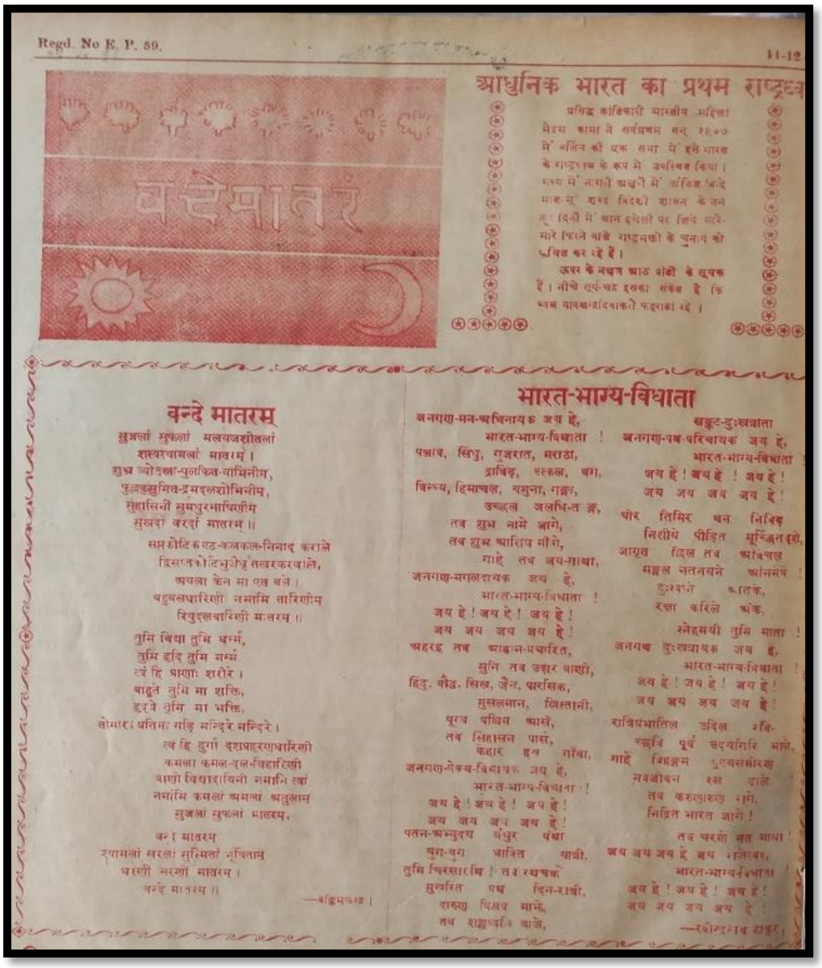
Regd. No E. P. 59. — 11-12

वंदेमातरं

आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रध्वज

प्रसिद्ध क्रांतिकारी भारतीय महिला मैडम कामा ने सर्वप्रथम सन् १९०७ में बर्लिन की एक सभा में इसे भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में उपस्थित किया। मध्य में नागरी अक्षरों में अंकित 'बंदे मातरम्' शब्द विदेशी शासन के उन क्रूर दिनों में जान हथेली पर लिये मारे-मारे फिरने वाले राष्ट्रभक्तों के चुनाव को सूचित कर रहे हैं।

ऊपर के नक्षत्र आठ प्रांतों के सूचक हैं। नीचे सूर्य-चन्द्र इसका संकेत है कि [illegible]

वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलां मलयजशीतलां
शस्यश्यामलां मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना-पुलकित-यामिनीम्,
फुल्लकुसुमित-द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीम्
सुखदां वरदां मातरम्॥
सप्त कोटि कण्ठ-कलकल-निनाद कराले
द्विसप्तकोटिभुजैर्धृत खरकरवाले,
अबला केन मा एत बले।
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीं मातरम्॥
तुमि विद्या तुमि धर्म्म,
तुमि हृदि तुमि मर्म्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहुते तुमि मा शक्ति,
हृदये तुमि मा भक्ति,
तोमारइ प्रतिमा गड़ि मन्दिरे मन्दिरे।
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमल-दल-विहारिणी
वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां
नमामि कमलां अमलां अतुलाम्
सुजलां सुफलां मातरम्,
वन्दे मातरम्
श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषिताम्
धरणीं भरणीं मातरम्।
वन्दे मातरम्॥

—बङ्किमचन्द्र।

भारत-भाग्य-विधाता

जनगण-मन-अधिनायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता!
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़, उत्कल, बंग,
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गङ्गा,
उच्छल जलधि-तरङ्ग,
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मागे,
गाहे तव जय-गाथा,
जनगण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता!
जय हे! जय हे! जय हे!
जय जय जय जय हे!
अहरह तव आह्वान-प्रचारित,
सुनि तव उदार वाणी,
हिंदु, बौद्ध, सिख, जैन, पारसिक,
मुसलमान, ख्रिस्तानी,
पूरब पश्चिम आसे,
तव सिंहासन पासे,
प्रेमहार हय गाँथा,
जनगण-ऐक्य-विधायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता!
जय हे! जय हे! जय हे!
जय जय जय जय हे!
पतन-अभ्युदय वंधुर पंथा
युग-युग धावित यात्री,
तुमि चिरसारथि! तव रथचक्रे
मुखरित पथ दिन-रात्री,
दारुण विप्लव माझे,
तव शङ्खध्वनि बाजे,
सङ्कट-दुःखत्राता
जनगण-पथ-परिचायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता!
जय हे! जय हे! जय हे!
जय जय जय जय हे!
घोर तिमिर घन निबिड़
निशीथे पीड़ित मूर्च्छित देशे,
जाग्रत छिल तव अविचल
मङ्गल नतनयने अनिमेषे!
दुःस्वप्ने आतंके,
रक्षा करिले अंके,
स्नेहमयी तुमि माता!
जनगण दुःखत्रायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता!
जय हे! जय हे! जय हे!
जय जय जय जय हे!
रात्रिप्रभातिल उदिल रवि-
च्छवि पूर्व उदयगिरि भाले,
गाहे विहङ्गम पुण्यसमीरण
नवजीवन रस ढाले।
तव करुणारुण रागे,
निद्रित भारत जागे!
तव चरणे नत माथा!
जय जय जय हे जय राजेश्वर,
भारत-भाग्य-विधाता!
जय हे! जय हे! जय हे!
जय जय जय जय हे!

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर।

तस्वीर 1 - जालंधर से प्रकाशित आकाशवाणी, 11 दिसंबर 1949

कांग्रेस में मंथन

वीर सावरकर के माध्यम से मैडम कामा जो तिरंगा जर्मनी में फहराया, उसे कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। इसी कारण से भारत में राष्ट्रव्यापी चर्चा शुरू हो गयी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का स्वरुप अब कैसा होना चाहिए? इस क्रम में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव वर्ष 1916 में मिलता है। इस वर्ष मसूलीपट्टम राष्ट्रीय महाविद्यालय के पिंगली वैंकय्या ने 'A National Flag for India' शीर्षक से पुस्तक लिखी, जिसमें ध्वज के कई प्रकार के नमूने प्रस्तावित किये थे। (देखे, तस्वीर 2)

इस कालखंड में ध्वज का प्रचलन तेजी से बढ़ गया और अन्य राष्ट्रों के झंडों का वर्णन सहित भारत के राष्ट्रीय झंडें के कुछ नमूने प्रस्तुत किये जाने लगे। उधर, पिंगली कांग्रेस के हर अधिवेशन में राष्ट्रीय झंडें का प्रश्न उठाते रहते थे। आमतौर पर महात्मा गाँधी को उनके सुझाए झंडे आकर्षित नहीं लगते थे, उनका कहना था, "वे (पिंगली) पिछले चार सालों से कांग्रेस के हर अधिवेशन में राष्ट्रीय झंडे का प्रश्न निरंतर उठाते रहे है तथापि मेरे हृदय में उनके विचारों के प्रति कोई उत्साह जागृत नहीं हो सका; और उन्होंने जो नमूने पेश किये उनमें मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा जो राष्ट्र की भावनाओं को जगा सके।"[10]

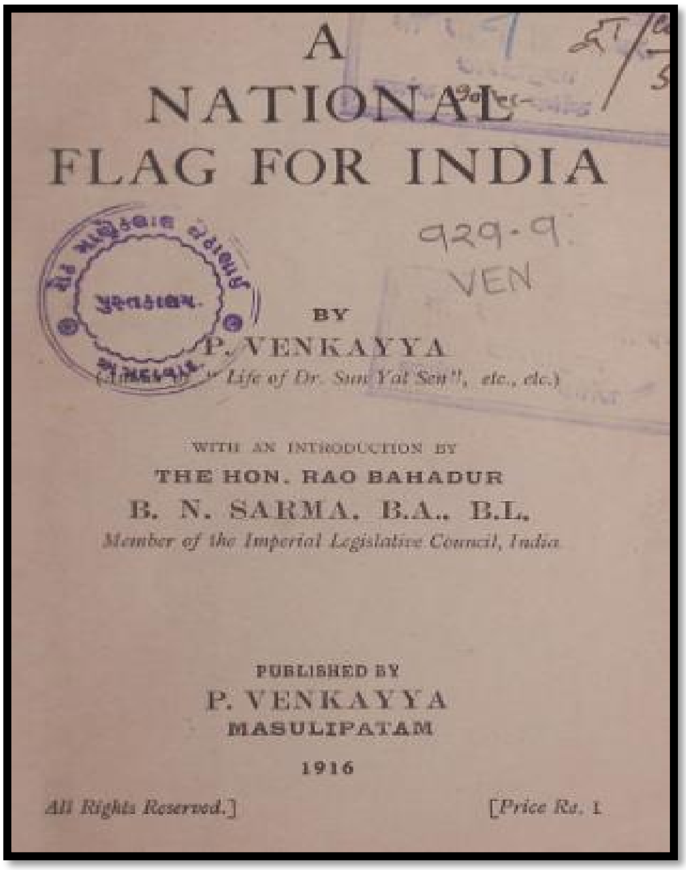
A
NATIONAL
FLAG FOR INDIA

BY
P. VENKAYYA
("Life of Dr. Sun Yat Sen", etc., etc.)

WITH AN INTRODUCTION BY
THE HON. RAO BAHADUR
B. N. SARMA, B.A., B.L.
Member of the Imperial Legislative Council, India

PUBLISHED BY
P. VENKAYYA
MASULIPATAM
1916

All Rights Reserved.] [Price Rs. 1

तस्वीर 2 - पिंगली वैंकय्या द्वारा वर्ष 1916 में लिखी पुस्तक

कुछ समय बाद, जालंधर के लाला हंसराज ने महात्मा गाँधी को सुझाव दिया कि ध्वज में चरखे को शामिल किया जा सकता है। महात्मा गाँधी को यह विकल्प ठीक लगा। उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और पिंगली को एक ऐसा नमूना बनाने को कहा, जिसमें लाल (हिन्दुओं का), तथा हरे (मुसलमान का) रंग की पृष्ठभूमि पर चरखा हो। तीन घंटों के अंतराल के बाद पिंगली ने एक झंडा बनाया लेकिन वह अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यसमिति के समक्ष पेश न हो सका। अब एकबार फिर महात्मा गाँधी ने उस झंडे पर विचार किया और उन्हें महसूस हुआ कि इसमें

[10] यंग इंडिया – 13 अप्रैल 1921

हिन्दू और मुसलमानों के साथ-साथ अन्य धर्मों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए अन्य धर्मों की भागीदारी के प्रतीक स्वरुप में उन्होंने सफेद रंग भी जोड़ने का निर्देश दिया।[11]

तस्वीर 3 - कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में प्रस्तुत ध्वज का नमूना, 1921

वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पेश किये गए ध्वज को ज्यादा खास आकर्षण नहीं मिला। (देखें, तस्वीर 3) अतः एकबार फिर ध्वज की संरचना पर चर्चा शुरू हो गयी। पिंगली ने महात्मा गाँधी के तीन रंगों – लाल, हरा और सफेद सहित चरखे के निशान को लेकर कई प्रयोग किये। उनके द्वारा प्रस्तावित ध्वज की जिस बनावट को सबसे ज्यादा सराहा गया उसमें सबसे ऊपर सफेद पट्टी, बीच में हरे रंग की पट्टी और अंत में लाल रंग सहित एक बड़ा चरखा ध्वज पर अंकित किया गया था।[12] वैसे एक प्रकार से यह सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी और वीर सावरकर के झंडों की भांति ही तीन रंगों वाली पट्टियों जैसा ही था।

महात्मा गाँधी ने इस ध्वज को 'स्वराज' नाम दिया था। जल्दी ही, इसका प्रयोग देश के अलग-अलग स्थानों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होने लगा। वर्ष 1923 के नागपुर झंडा सत्याग्रह में इस ध्वज को व्यापक लोकप्रियता मिली। मई 1923 में नागपुर और जबलपुर में ब्रिटिश औपनिवेशवाद के खिलाफ एक झंडा यात्रा निकाली गयी। सरकार ने लोगों को भीड़ इक्कठी न हो इसलिए वहां धारा 144 लगा दी।

पट्टाभि सितारामैय्या इस सन्दर्भ में लिखते है, "बस, गिरफ्तारियां और सजाएँ आरम्भ हो गयी। बात-की-बात में इस घटना ने आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। महासमिति ने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए उसकी सहायता करने का निश्चय किया और साथ ही देश को आह्वान किया कि आगामी 18 तारीख (मई महीना) को गाँधी दिवस मनाये जाने के बदले इसे झंडा दिवस

[11] उक्त

[12] राजेंद्र प्रसाद, ऑटोबायोग्राफी, एशिया पब्लिशिंग : बॉम्बे, 1957, पृष्ठ 336

कहकर मनाया जाए। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को आज्ञा हुई कि उस दिन जुलुस निकालकर जनता द्वारा झंडा फहराए।"[13]

डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार, वर्ष 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने से पहले 1922 तक मध्य भारत कांग्रेस के चर्चित एवं लोकप्रिय नाम बन गए थे। मध्य भारत प्रांतीय कांग्रेस के सहमंत्री नाते उन्हें स्थानीय इकाइयों के चुनाव एवं सदस्यता की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। इसलिए 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह के दौरान डॉ. हेडगेवार ने सत्याग्रह के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया।[14]

डॉ. राजेंद्र प्रसाद अपने संस्मरण में सत्याग्रह नेतृत्व पर लिखते है, "सेठ जमनालाल उसका (सत्याग्रह का) नेतृत्व कर रहे थे। झंडे को लेकर जुलूस प्रतिदिन निकलता और सरकार द्वारा सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। कुछ दिनों बाद जमनालाल भी गिरफ्तार कर लिए गए। तब सरदार बल्लभभाई पटेल नागपुर आये और मोर्चा संभाला। उधर मैंने भी बिहार से स्वयंसेवकों को भेजना शुरू कर दिया।[15] इस सत्याग्रह में विनोभा भावे और सी राजगोपालाचारी भी शामिल हुए थे।

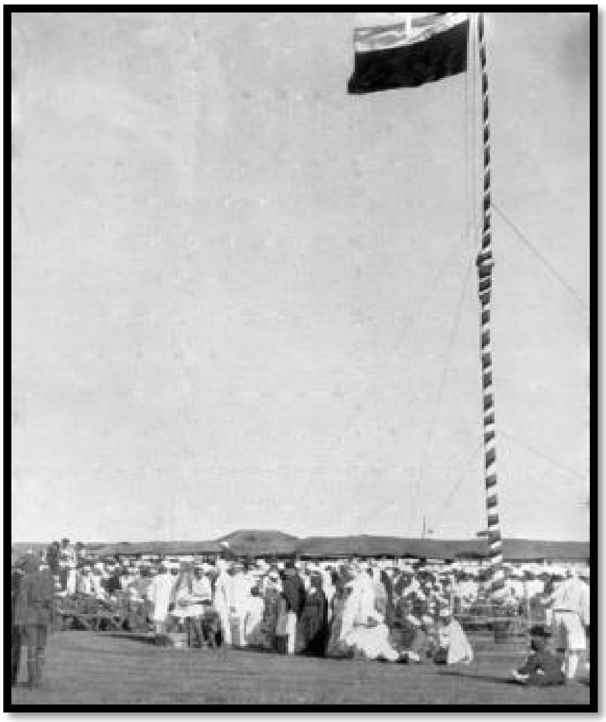

तस्वीर 4 - बेलगाँव अधिवेशन में ध्वज

वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में झंडा सत्याग्रह की सफलता पर एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया, "यह कांग्रेस नागपुर के झंडा सत्याग्रह आन्दोलन के संचालकों

[13] पट्टाभि सितारामैय्या, संक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास 1884 से 1947, सत्साहित्य प्रकाशन, 1958, पृष्ठ 137

[14] राकेश सिन्हा, डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार, प्रकाशन विभाग, 2003, पृष्ठ 65

[15] राजेंद्र ग्रंथावली का प्रथम ग्रन्थ, इंडियन प्रेस : प्रयाग, पृष्ठ 210-211

को हृदय से बधाई देती है, जिन्होंने अपने वीरोचित त्याग और दुःख से लड़ाई को अंत तक सफलतापूर्वक लड़कर देश का सम्मान बढाया है।[16] अगले साल इस ध्वज को कांग्रेस के बेलगाँव अधिवेशन में भी फहराया गया। इस प्रकार एक ध्वज को आधिकारिक रूप से स्वीकार करना, कांग्रेस के अभीतक के इतिहास में पहली घटना थी। (देखे, तस्वीर 4)

कांग्रेस में एक वर्ग ऐसा भी था जोकि महात्मा गाँधी की ध्वज पर सांप्रदायिक व्याख्या को पसंद नहीं करता था। इस बात से स्वयं महात्मा गाँधी भी अंजान नहीं थे। इसलिए उन्होंने ध्वज की आलोचना को स्वीकार कर उसका जवाब इस प्रकार दिया, "राष्ट्रीय झंडे का महत्व जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, उसके रंग, आकर-प्रकार और चरखे चिह्न के सम्बन्ध में नए-नए और सूक्ष्म सवाल उठाये जा रहे है। हमें यह समरण होना चाहिए कि राष्ट्रीय झंडा केवल परंपरा के कारण राष्ट्रीय बन गया है, कांग्रेस के किसी प्रस्ताव द्वारा नही। एकता की बढती ही भावना के कारण अब कांग्रेसजन राष्ट्रीय झंडे के रंगों के उस जातीय अर्थ को नापसंद करने लगे है।"[17]

बावजूद इसके, वर्ष 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्ष होने के नाते जो झंडा फहराया उसमें चरखा हटा दिया गया था।[18] वर्ष 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू ने न सिर्फ महात्मा गाँधी द्वारा प्रस्तावित ध्वज को अपनाया बल्कि भारत की पूर्ण स्वाधीनता का भी संकल्प लिया।

कांग्रेस की इसी कशमकश के बीच सिक्खों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस के ध्वज में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उधर, वर्ष 1929 में हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रामानंद चटर्जी ने एक केसरिया ध्वज फहराया, जिसे महासभा के 1936 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। वही वीर सावरकर ने भी एक ध्वज की रुपरेखा रखी जिसमें ॐ और कृपाण के साथ कुण्डलिनी को रखा गया था। कुण्डलिनी को भारतीय योग परंपरा को ध्यान में रखते हुए स्थान दिया गया था। बाद में हिन्दू महासभा ने इसमें स्वस्तिक का निशान भी जोड़ दिया।

1 से 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस ने अपनी भूल-सुधार के लिए करांची में आयोजित कार्यसमिति की एक बैठक में सात सदस्यों की समिति का गठन कर दिया। समिति के संयोजक पट्टाभि सीतारमैया सहित सदस्यों में सरदार पटेल, मौलाना आजाद, मास्टर तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी कालेलकर, और एनएस हर्डीकर शामिल थे। इसका उद्देश्य मौजूदा ध्वज में आपत्तियों की जाँच सहित कांग्रेस की स्वीकृति के लिए एक ध्वज की सिफारिश करना था। 31 जुलाई 1931 तक दी गयी समयसीमा से पहले ही समिति ने अपनी सिफारिशें 2 अगस्त 1931 को कांग्रेस कार्यसमिति को सौंप दी थी। समिति का सुझाव था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया रंग का होना चाहिए जिसमें ऊपर बायीं ओर नीले रंग का चरखा अंकित किया जा सकता है।

[16] कन्हैयालाल, कांग्रेस के प्रस्ताव, 1885-1931, नवयुग प्रकाशन : बनारस, 1931, पृष्ठ 427

[17] गांधी सम्पूर्ण वांग्मय, खंड 42, पृष्ठ 522

[18] उक्त, खंड 38, पृष्ठ 361

महात्मा गाँधी ध्वज में तीन रंगों के इस्तेमाल पर एकदम अड़ गए थे। बम्बई में अगस्त 1931 में बुलाई गयी कांग्रेस कार्यसमिति में झंडा समिति के सुझावों पर विचार किया गया। अंततः तय किया गया कि ध्वज में तीन रंग ही रहेंगे लेकिन लाल रंग की जगह केसरिया लेगा। रंगों के क्रम में भी परिवर्तन किया गया और अब केसरिया सबसे पहले, फिर सफेद और अंत में हरे रंग को रखा गया। साथ ही चरखे का रंग नीला किया गया जिसके अन्दर सफेद रंग की धारियाँ थी। इसके अलावा ध्वज की कोई सांप्रदायिक परिभाषा से भी परहेज किया गया। अब ध्वज कि व्याख्या इस प्रकार की गयी कि साहस एवं बलिदान का प्रतिनिधित्व केसरिया; शांति एवं सच्चाई का प्रतिनिधित्व सफेद; विश्वास एवं शिष्टता का प्रतिनिधित्व हरा, और नागरिकों की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व चरखा करेगा।

2
स्वाधीनता के बाद का कालखंड

भारत की संविधान सभा

23 जून 1947 को स्वाधीन भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर सुझाव देने के लिए एक तदर्थ समिति (ad hoc) गठित की गयी। समिति के अध्यक्ष, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और सदस्यों में मौलाना आजाद, के.एम. पणिक्कर, सरोजनी नायडू, के.एम. मुंशी, सी. राजगोपालाचारी, उज्ज्वल सिंह, फ्रेंक एंथोनी, एस.एन. गुप्ता और डॉ. भीम राव आंबेडकर को नामांकित किया गया।

समिति में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी सदस्य के रूप में नामांकित किया जाना था। मगर डॉ राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि उनका नाम गलती से छुट गया।[19] हालाँकि, गलती का एहसास होने के बावजूद भी डॉ. मुखर्जी को समिति की किसी भी बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। जबकि नामित सदस्यों के अलावा अन्य लोगों को बैठकों में बुलाया गया था।

संविधान सभा के अगले सत्र से पहले 14 जुलाई 1947 तक समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। वैसे तो समिति के गठन से पहले ही यह निश्चित कर लिया गया था कि बम्बई की कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा वर्ष 1931 में पारित ध्वज ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा।[20] अतः समिति के पास अन्य विकल्पों पर विचार करने अथवा राष्ट्रव्यापी सुझाव आमंत्रित करने जैसा कोई व्यापक कार्य नहीं था।

वीर सावरकर ने डॉ राजेंद्र प्रसाद से एक अनुरोध जरुर किया था कि कम-से-कम एक पंक्ति में केसरिया रंग जगह देनी चाहिए।[21] समिति ने ध्वज निर्माण सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिए मात्र दो बैठकें बुलाई। पहली बैठक 10 जुलाई को हुई। जिसमें समिति के निर्धारित सदस्यों के अलावा सरदार बलदेव सिंह, हीरालाल शास्त्री, बी. पट्टाभिसीतारमैया, सत्यनारायण सिन्हा, और जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। इसी दिन सभी सदस्यों ने कांग्रेस के ध्वज में कुछ बदलाव के साथ उसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता देने का निर्णय ले लिया। समिति की दूसरी बैठक 18 जुलाई को बुलाई गयी थी। यहाँ वही सभी सदस्य उपस्थित थे जोकि पहली बैठक में शामिल हुए थे। इस दिन समिति ने तय किया कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू पेश करेंगे।

---

[19] वाल्मीकि चौधरी, डॉ राजेंद्र प्रसाद - कॉरेस्पोंडेंस एंड सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, खंड 7, एलायड : नई दिल्ली, पृष्ठ 199

[20] उक्त, पृष्ठ 198

[21] धनञ्जय कीर, वीर सावरकर, पॉपुलर प्रकाशन : नई दिल्ली, 1966, पृष्ठ 389

इसप्रकार भारत के राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरुप 22 जुलाई 1947 को भारतीय विधान परिषद् (संविधान सभा) में स्वीकृत किया गया। उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के झंडे में कुछ परिवर्तन करके उसे स्वाधीन भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में सदन के पटल पर प्रस्तावित किया। नेहरू का प्रस्ताव इस प्रकार था, "निश्चय किया गया है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा जिसमें गहरे केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की बराबर-बराबर की तीन आड़ी पट्टियाँ होगी। सफ़ेद पट्टी के केन्द्र में चरखे के प्रतीक स्वरुप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोक कालीन सिंह स्तूप के शीर्ष भाग पर स्थित है।"[22]

अपने प्रस्ताव के अंत में नेहरू ने सदन के सामने दो झंडे रखते हुए कहा, "श्रीमान जी, अब मैं आपके सामने केवल प्रस्ताव ही पेश नहीं करूँगा बल्कि स्वयं झंडे को भेंट करूँगा। आपके सामने ये दो झंडे है, एक रेशम का जिसे मैं पकडे हुए हूँ और दूसरा जो उस ओर है, वह खादी का है।"[23] उन्होंने अपने सम्पूर्ण भाषण में ध्वज संबंधी तकनीकी जानकारी नहीं दी, जैसे ध्वज निर्माण में किस कपडे का प्रयोग होगा और ध्वज को बहुतायत में तैयार करते समय किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा।

अगले वक्ता एचवी कामथ ने इस प्रस्ताव में एक संशोधन पेश करते हुए कहा, "सफेद पट्टी के केंद्र में चक्र के अंदर स्वस्तिका, जो प्राचीन भारत का सत्यम, शिवम्, सुन्दरम् का प्रतीक है, अंकित कर दी जाए।" हालाँकि, कामथ ने तुरंत अपना प्रस्ताव वापस ले लिया और कहा, "मैंने सोचा कि यदि चक्र के अंदर स्वस्तिका का चिह्न अंकित कर दिया जाता तो अशोक-चक्र के साथ यह हमारी प्राचीन सभ्यता का समुचित प्रतीक होता अर्थात हमारी सभ्यता के प्रकट और अप्रकट स्वरुप दोनों रहते। धर्म-चक्र प्रकट प्रतीक होता और स्वस्तिका अप्रकट। लेकिन श्रीमान जी, मैंने अभी झंडे को देखा और मैंने समझा कि इस चक्र के अंदर स्वस्तिका को बैठाना कठिन है। चक्र में यह भद्दा लगेगा।"[24]

अतः संविधान सभा के सदस्यों – पीएस देशमुख, सेठ गोविन्ददास, वीआई मुनिस्वामी पिल्लै, चौधरी खलीकुज्जामां, एस राधाकृष्णन, मोहन सिंह मेहता, मोहम्मद शरीफ, तजम्मुल हुसैन, आरके सिधवा, गोविन्द मालवीय, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एचसी मुकर्जी, जयपाल सिंह, फ्रेंक रेजिनाल्ड एंथनी, ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर, एचजे खांडेकर, बालकृष्ण शर्मा, जोसफ आल्बन डिसूजा, जयनारायण व्यास, एस नागप्पा, लक्ष्मीनारायण साहू, और सरोजिनी नायडू ने नेहरू द्वारा पेश किये गए राष्ट्रीय ध्वज का अनुमोदन किया और संविधान सभा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

धवज के तीन रंगों को लेकर आमतौर पर इसके सांप्रदायिक होने की बातें स्वाधीन भारत में बहुत प्रचलन में थी। इन्ही बातों को विराम देने के लिए नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्टीकरण देते हुए कहा, "इस झंडे की व्याख्या अलग-अलग तरह से की गयी है। कुछ लोगों ने इसका महत्व गलत

---

[22] संविधान सभा – 22 जुलाई 1947

[23] उक्त

[24] उक्त

ढंग से समझकर यह धारणा बना ली है कि इसके किसी हिस्से से किसी-न-किसी समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अब जन यह झंडा बना है, इसका किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।"[25]

सच्चाई इसके विपरीत थी क्योंकि महात्मा गाँधी अभी भी ध्वज की व्याख्या उसी प्रकार कर रहे थे जैसी स्वाधीनता से पहले के कालखंड में किया करते थे। उनका कहना था, "जब झंडे की बात उठी तब मुझे लगा कि उसमें एक ही रंग का रखा जाना अन्याय होगा क्योंकि हिंदुस्तान में तो अनेक कौमें है।"[26] 29 जून 1947 को उन्होंने एकबार फिर दोहराया, "[राष्ट्रीय ध्वज] का पहला डिजायन तैयार करने वालों की हैसियत से मैं यह कहना चाहूँगा कि तीन रंग की पट्टियाँ सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए थी।"[27]

जैसे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा महात्मा गाँधी की सांप्रदायिक व्याख्या का विरोध किया, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य राष्ट्रवादी संस्थाओं ने भी इसकी समान रूप से आलोचना की। फिर भी, आलोचनाओं के समानांतर कांग्रेस ने महात्मा गाँधी द्वारा प्रस्तावित ध्वज का सम्मान रखा वैसे ही संघ द्वारा इसे सहज रूप से स्वीकार किया गया था।

इसलिए जिस दिन भारत का संविधान अस्तित्व में आया उसी दिन सरसंघचालक गुरु गोलवरकर ने 26 जनवरी 1950 को संघ के मुख्यालय नागपुर से एक वक्तव्य जारी कर न सिर्फ संविधान को बल्कि उसमें समाहित ध्वज इत्यादि सभी अवयवों को सहर्षता से अपना लिया था। उन्होंने कहा, "आज हमारा अपना संविधान कार्यान्वित हुआ है। ब्रिटिश राज्य मंडल से हमारे सम्बन्ध की अंतिम कड़ी भी टूट गयी और ब्रिटिश शासन के प्रतीक ताज के स्थानपर अशोक चक्र स्थापित हो गया है। हम अब नैतिक या राजनैतिक किसी भी दृष्टी से उनसे बंधे हुए नहीं है। अब हम अपनी इच्छानुसार कार्य करने के स्वतंत्र है। आज 20 वर्ष के लम्बे और सतत संघर्ष के बाद हमने अपने ध्येय की प्राप्ति की है। रावी के तट पर 20 वर्ष पूर्व औपनिवेशिक स्वराज्य को ठुकराकर पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव हमारे आज के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपस्थित किया गया था और कांग्रेस ने उसे स्वीकार किया था। उसके बाद प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मानते रहे, किन्तु हमारे चारों ओर विदेशी प्रभुत्व बना रहा। आज का यह अवसर हार्दिक आनंद का अवसर है और हमें इस बात के लिए हर्ष होना चाहिए कि यह हमारा यह सौभाग्य है कि हम अपने देश के इतिहास की ऐसी शुभ घडी में उपस्थित है।"[28]

स्वाधीन भारत में ध्वजारोहण

संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को नेहरू ने एक अनुरोध भी रखा था, जिसे संविधान सभा ने अपनी हर्षध्वनि के साथ स्वीकृति दी थी। नेहरू का कहना था, "ये दो झंडे जिनका प्रातःकाल

---

[25] उक्त

[26] सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय, खंड 86, पृष्ठ 454 (प्रार्थना सभा – 26 जनवरी 1947)

[27] उक्त, खंड 88, पृष्ठ 211

[28] श्री गुरूजी समग्र, खंड 3, सुरुचि प्रकाशन : नई दिल्ली, पृष्ठ 182-183

प्रदर्शन किया गया, विशेष रूप से सुरक्षित रखे जाए. अतः इनको राष्ट्रीय अजायबघर में रखवा दिया जाये।"

उन झंडों में से एक खादी वाला झंडा आज भी कानपुर स्थित एक सरकारी संस्थान में सुरक्षित रखा है। मगर दूसरा रेशमी झंडा कहा है, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि उस रेशमी ध्वज को संग्रहालय में न रखकर 15 अगस्त 1947 के दिन पहले ध्वजारोहण समारोह में ही प्रयोग कर लिया होगा। मगर यह भी एक संभावना है।[29] धनंजय कीर के अनुसार वीर सावरकर ने गर्व के साथ भारत के नए राजकीय ध्वज को सलामी दी थी।[30]

ध्वज के फहराने संबंधी नियम 1948 में ही बन गए थे।[31] सामान्य नागरिकों के लिए यह नियम बहुत ही कड़े थे क्योंकि केंद्र सरकार को लगता था कि नागरिक इसका गलत इस्तेमाल करने लगेंगे।[32] स्वाधीनता कि तीसरी वर्षगांठ - 15 अगस्त 1950 को वीर सावरकर ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते है? ऐसा करने पर उनपर कोई कार्यवाही तो नहीं की जाएगी? तब गृह विभाग ने उन्हें ध्वज फहराने कि विशेष अनुमति दी लेकिन किसी भी प्रकार का भाषण देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।[33]

इसी वर्ष 15 अगस्त 1950 को सूचना विभाग, मध्य भारत शासन की तरफ से 'हमारा राष्ट्रीय ध्वज' शीर्षक के साथ एक पुस्तिका प्रकाशित हुई। यह ध्वज सहिंता के अभीतक उपलब्ध दस्तावेजों में सबसे पुरानी है। इस पुस्तिका में सामान्य नागरिकों को ध्वज फहराने संबंधी नियम निम्न प्रकार बताये गए थे :

"राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का प्रतीक है, अतः यह नितांत आवश्यक है कि अनिमियत उपयोग द्वारा उसकी अप्रतिष्ठा न की जावे। अतः राष्ट्र-ध्वज के सम्बन्ध में केंद्रीय शासन ने निम्नलिखित नियम बना दिए है" :

- सामान्यतः शासन तथा राज्यों की प्रमुख इमारतों पर ही राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए जैसे हाईकोर्ट, सेकेट्रियट, कमीशनर का कार्यालय, सूबात, जेल, जिला बोर्ड तथा नगरपालिकाओं की इमारतों पर।"
- राज्यपाल, राजप्रमुख, महाराजा, भारतीय मिशन के अध्यक्षों, केंद्रीय एवं राज्य के मंत्री, केंद्रीय शासन के रियासती मंत्री, अपर चेम्बर के चेयरमैन (जहाँ अस्तित्व हो), भारतीय संसद के अध्यक्ष एवं राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष, चीफ कमिश्नर्स, रीजनल कमिश्नर्स, डिविजल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, जिलों के कलेक्टर्स के निजी निवास स्थानपर ध्वज फहराया जा सकता है।

---

[29] केवी सिंह, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उपकार प्रकाशन : आगरा, पृष्ठ 95

[30] धनञ्जय कीर, वीर सावरकर, पॉपुलर प्रकाशन : नई दिल्ली, 1966, पृष्ठ 389

[31] द टाइम्स ऑफ इंडिया – 17 जून 1948

[32] द टाइम्स ऑफ इंडिया – 13 अगस्त 1957

[33] धनञ्जय कीर, वीर सावरकर, पॉपुलर प्रकाशन : नई दिल्ली, 1966, पृष्ठ 433

- विशेष रूप से, (1) विशिष्ट अवसरों पर जैसे स्वतंत्रता दिवस सम्बन्धी उत्सव, 15 अगस्त, महात्मा गाँधी का जन्मदिवस, 26 जनवरी, राष्ट्रीय सप्ताह, तथा अन्य राष्ट्रीय उत्सवों पर राष्ट्र ध्वज का प्रयोग सार्वजानिक रूप से बिना किसी प्रतिबन्ध के किया जावेगा, (2) राष्ट्रध्वज के सम्बन्ध में जल, थल और वायु सेना के पृथक विशेष नियम है, और (3) उपरोक्त क्रमांक एक में निहित अवसरों को छोड़कर केवल सक्षम व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी को राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराना चाहिए।

आमतौर पर संघ पर आरोप थोपा जाता है कि स्वाधीनता के बाद संघ की किसी भी इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया था। दरअसल, यह एक अर्ध-सत्य है। सबसे पहले तो यह समझने कि जरुरत है कि संघ ने ध्वज का अपमान कभी नहीं नहीं किया। बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत सरकार द्वारा ध्वज को फहराने के नियमों का जिनका संघ द्वारा पूरा सम्मान किया गया था।

संघ पर प्रतिबन्ध हटने के बाद सरदार पटेल ने एक सामान्य भाषा में गुरु गोलवरकर को भारत के ध्वज और संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का सुझाव दिया था।[34] इसी के संघ का विरोध करने वालो को मौका मिल गया कि संघ को भारत के ध्वज एवं संविधान में आस्था नहीं है। जबकि गुरु गोलवरकर पहले ही 2 नवम्बर 1948 को संविधान एवं उससे जुड़े सभी अवयवों के प्रति निष्ठा का स्पष्टीकरण दे चुके थे।

उनका वक्तव्य इस प्रकार है, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में ध्वज सम्बन्ध में अत्यंत प्रत्यनपूर्वक भ्रम फैलाया जा रहा है। विधान परिषद् ने यह निर्णय कर लिया है कि हमारे राज्य का कैसा ध्वज हो। स्वातंत्र्य प्राप्ति के पश्चात राज्य ने उस ध्वज को स्वीकार किया है और इस कारण वह ध्वज इस देश के नागरिकों का श्रद्धाभाजन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना ध्वज है जोकि हिन्दू जाति की संस्कृतिक एकता निर्माण करने के उद्देश्य का प्रतीक है और इस कारण वह स्वाभाविकतया पुरातन भग्वा ध्वज है जोकि हिन्दू संस्कृति के त्याग और आत्मसमर्पण की भावना का दिग्दर्शक है। सभी गैर-सरकारी संस्थाओं का अपना ध्वज है; कांग्रेस का भी है जो राजध्वज से भिन्न है। निःसंदेह ऐसा होना भी चाहिए। राजध्वज का उपयोग केवल राजकीय कार्यों तथा उत्सवों में, राजकीय भवनों पर तथा अधिकृत राज्य अधिकारीयों द्वारा ही होना चाहिए, किसी भी गैर-सरकारी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा नही। सचमुच किसी गैर-सरकारी दल अथवा संस्था को, चाहे वह कितनी बड़ी अथवा जनप्रिय ही क्यों न हो, राज्य ध्वज अथवा उसके समान किसी ध्वज को, जिसके कारण जनता के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए, उपयोग करने का अधिकार नहीं है। इस कारण अपने ध्वज के प्रति परिपूर्ण भक्ति रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राज्य के अंग होने के कारन, राज्यध्वज के प्रति सम्पूर्ण श्रद्धा रखता है और मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक सदस्य किसी भी आक्रमणकारी से राज्य ध्वज

---

[34] हिंदुस्तान टाइम्स – 13 जुलाई 1949

की रक्षा करने के लिए अपना जीवन सहर्ष दे देगा।"[35] उन्होंने एकबार फिर कहा, "संघ के स्वयंसेवक अपने राज्य के ध्वज को वैसे ही सम्मान की दृष्टि से देखते है, जैसे दूसरे नागरिक; क्योंकि राज्य ध्वज का निर्माण राज्य ने किया है।"[36]

रही बात राष्ट्रीय पर्वो पर ध्वज फहराने की तो उस दौरान संघ ही नहीं बल्कि कोई भी संस्था ऐसा नहीं करती थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में ध्वज को लोकप्रिय बनाने के प्रति उदासीनता व्याप्त थी इसलिए सामान्य नागरिकों और गैर-सरकारी संस्थाओं में ध्वज को फहराने का प्रचलन नहीं बन सका। ध्वज नियमों का डर भी लोगों में इस कदर बैठा दिया गया, जिससे कोई भी जल्दी से ध्वज फहराने कि हिम्मत नहीं दिखाता था।

राष्ट्रीय ध्वज के सन्दर्भ में पहला अधिनियम प्रोविजनल पार्लियामेंट में 13 फरवरी 1950 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री केसी नियोगी ने पेश किया। उन्होंने 'Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Bill' सदन के समक्ष रखते हुए ध्वज के वणिज्य एवं पेशेवर दुरप्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की थी।

विधेयक पर चर्चा के समय तजम्मुल हुसैन ने तथ्य रखते हुए कहा, "आप आजके हालात देख सकते है, मुझे नही पता कि यह सरकारी आदेश है या नहीं – मंत्रियों को छोड़कर कोई भी राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करता हमें दिखाई नहीं देगा। कोई इसका प्रयोग करने का साहस भी नहीं करता है। हम इसे अपनी मोटरकारों के बोनट पर लहराने का साहस नहीं कर सकते है।"[37]

एक अन्य सदस्य, आरके चौधरी का कहना था, "मैं चाहता हूं कि हर कोई, दुनिया का हर व्यापारी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करे। प्रत्येक भारतीय को अपने राष्ट्रीय ध्वज को अधिक-से-अधिक लोकप्रिय बनाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए यदि वह राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करता है, तो मैं हतोत्साहित नहीं बल्कि इसका स्वागत करूंगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का कुछ समय पहले अपमान किया गया था, और उसे हर इमारत, हर स्कूल और अन्य जगहों से ही उतरवा दिया गया था।"[38] इसी चर्चा में महावीर त्यागी ने बताया कि कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेसी अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज के स्थानपर कांग्रेस के चरखे वाले झंडे का इस्तेमाल करते है।[39]

प्रोविजनल संसद के तीन सदस्यों – हुसैन, चौधरी और त्यागी के वक्तव्यों से एकदम स्पष्ट है कि 1947 में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया तो गया लेकिन वह भारतीय नागरिकों के बीच लोकप्रिय अथवा प्रचलित नहीं था। स्वयं कांग्रेस के नेता या तो जानबूझकर अथवा इस बात से अवगत ही नहीं थे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है?

---

[35] पांचजन्य - कार्तिक शुक्ल 4, शुक्रवार 2005

[36] पाञ्चजन्य - कार्तिक कृष्ण एकादशी, गुरूवार 2005

[37] प्रोविजनल पार्लियामेंट - 13 फरवरी 1950

[38] उक्त

[39] उक्त

इसीलिए एक समय ऐसा भी आया कि केंद्र सरकार को ध्वज के लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन तक देने पड़ते थे। ऐसा ही एक विज्ञापन साप्ताहिक पांचजन्य के स्वाधीनता दिवस 1969 के अंक में प्रकाशित हुआ। यह विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया था। (देखे, तस्वीर – 5)

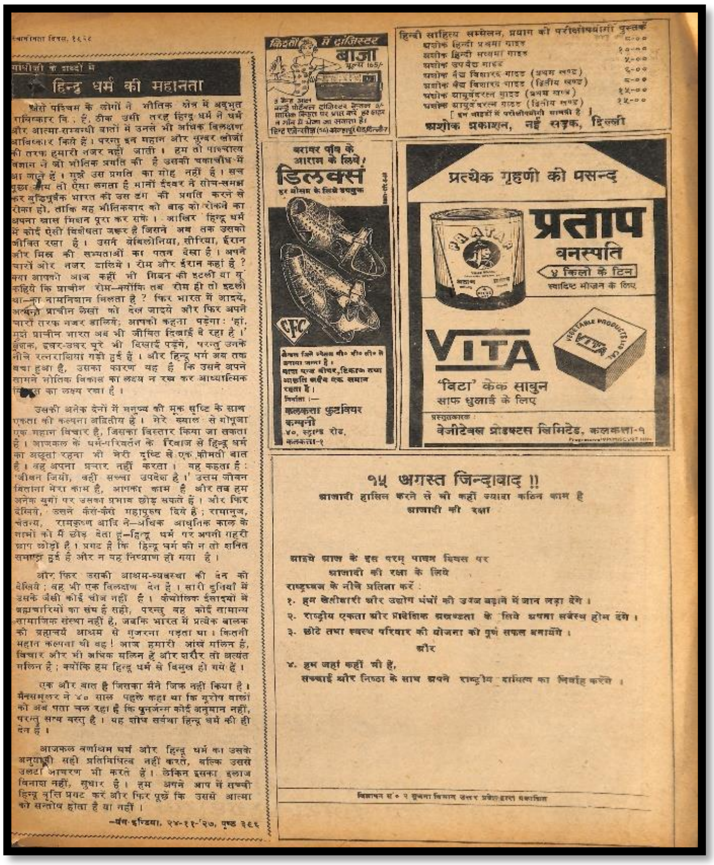

गांधीजी के शब्दों में

हिन्दू धर्म की महानता

प्रत्येक गृहणी की पसन्द

प्रताप वनस्पति

५ किलो के टिन

स्वादिष्ट भोजन के लिए

VITA

'विटा' केक साबुन

साफ धुलाई के लिए

वेजीटेबल प्रोडक्टस लिमिटेड, कलकत्ता-१

डिलक्स

कलकत्ता फुटवियर कम्पनी

अशोक प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली

१५ अगस्त जिन्दाबाद !!

आजादी हासिल करने से भी कहीं ज्यादा कठिन काम है आजादी की रक्षा

आइये आज के इस परम् पावन दिवस पर

आजादी की रक्षा के लिये

राष्ट्रध्वज के नीचे प्रतिज्ञा करें :

१. हम खेतीबारी और उद्योग धंधों की उपज बढ़ाने में जान लड़ा देंगे।

२. राष्ट्रीय एकता और प्रादेशिक अखण्डता के लिये अपना सर्वस्व होम देंगे।

३. छोटे तथा स्वस्थ परिवार की योजना को पूर्ण सफल बनायेंगे।

और

४. हम जहां कहीं भी हैं,

सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करेंगे।

तस्वीर 5 - पांचजन्य के स्वाधीनता दिवस 1969 में प्रकाशित ध्वज का विज्ञापन

इसके बाद समय-समय पर ध्वज फहरने के नियम जारी होते रहे। वर्ष 1957 में एक संसोधन किया गया। पहले उच्च न्यायलयों में ध्वज न्यायधीशों के आने के बाद और जाने से पहले हटा दिया जाता था। नए नियम के नुसार उसे सूर्योदय से से लेकर सूर्यास्त तक फहराने का आदेश जारी किया गया।[40]

ध्वज के सन्दर्भ में दूसरा अधिनियम, "Prevention of Insults to National Honour Bill" 23 नवम्बर 1971 को राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने पेश किया। इस विषय पर सदन के एक सदस्य, एन श्रीरामा रेड्डी ने कहा, "हमारे राष्ट्रीय ध्वज की विशेषता को युवाओं को बताने की जरुरत है। यह उनके अंतःकरण का हिस्सा बनाना चाहिए जिससे उनकी अंतःचेतना का राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत से मतभेद न हो। हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा। यह कुछ ऐसा होगा कि लोग इसकी पूजा करे और यह जीवन एवं मरण का प्रश्न बन जाए. इसलिए राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय

---

[40] द टाइम्स ऑफ इंडिया – 27 अप्रैल 1957

ध्वज की व्याख्या एवं विशेषता को देश के हर कोने में रह रहे व्यक्ति को पता होनी चाहिए। मैं श्री जोआचिम अल्वा से सहमत हूं कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति समर्पण की भावना अभी नहीं है।"

अगले वक्ता निरंजन वर्मा ने कहा, "श्री कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी भोपाल गए, उनके सामने इसी तिरंगे झंडे को वहां पर रौंद-रौंद करके मिटाया गया। श्रीमति इंदिरा गाँधी जब भोपाल गयी, तब इनके सामने इसी तिरंगे झंडे को जलाया गया। उस समय किसी को जागृति नहीं हुई। यहाँ ही (दिल्ली) आज से छह वर्ष पहले चांदनी चौक में तिरंगे को जलाया गया, तब क्या भावनात्मक एकता जगाने का प्रयत्न किया? तो जब इतने वर्ष तक सहन करने के बाद इसको (विधेयक) को लाते है तो हमारा ऐसा ख्याल है कि आप बहुत देर से जाग रहे है।" प्रणब मुखर्जी ने भी इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा, "कलकत्ता उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय ध्वज गलत दिशा में फहराया गया था। मुख्य न्यायाधीश को उसे ठीक करने में तीन महीनों का समय लग गया। यह भी तब किया गया जब कुछ लोगों ने इस ओर ध्यान दिलाया।"

एफएच मोहसिन ने अपनी बात रखते हुए कहा, "राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है।" उनके तथ्यों का समर्थन देते हुए निरंजम वर्मा ने कहा, "केवल मद्रास में सन 1960 से लेकर 1962 तक कम-से-कम पचासी घटनाएं हुई है।" मोहसिन ने आगे कहा, "15 अगस्त 1970 को नक्सलियों ने बेगमपुर रेलवे स्टेशन सहित छह स्थानों पर से राष्ट्रीय ध्वज को उतरवा कर उसके स्थानपर काले झंडे लगा दिए।"

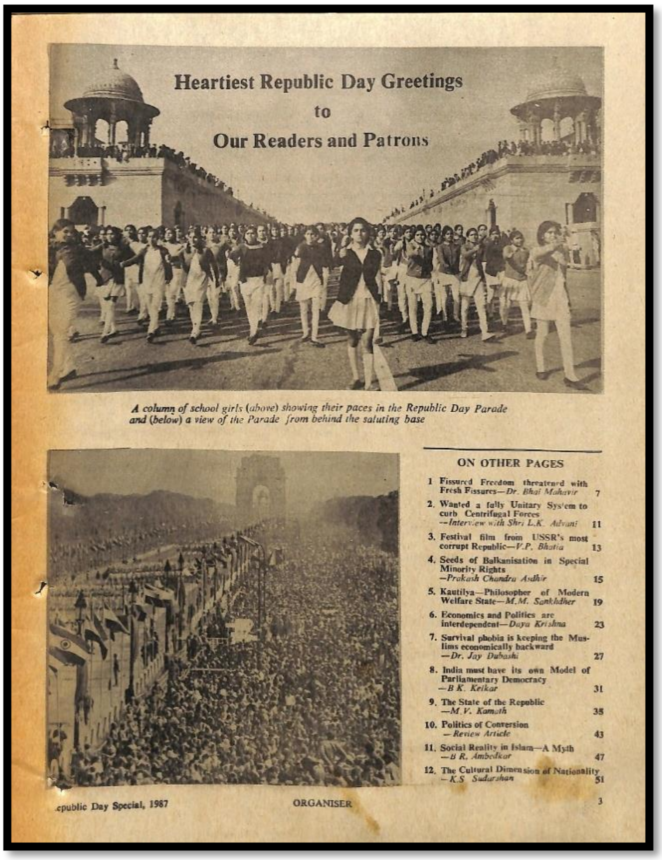

Heartiest Republic Day Greetings
to
Our Readers and Patrons

A column of school girls (above) showing their paces in the Republic Day Parade and (below) a view of the Parade from behind the saluting base

ON OTHER PAGES

1 Fissured Freedom threatened with Fresh Fissures—*Dr. Bhai Mahavir* 7
2. Wanted a fully Unitary System to curb Centrifugal Forces —*Interview with Shri L.K. Advani* 11
3. Festival film from USSR's most corrupt Republic—*V.P. Bhatia* 13
4. Seeds of Balkanisation in Special Minority Rights —*Prakash Chandra Ardhir* 15
5. Kautilya—Philosopher of Modern Welfare State—*M.M. Sankhdher* 19
6. Economics and Politics are interdependent—*Daya Krishna* 23
7. Survival phobia is keeping the Muslims economically backward —*Dr. Jay Dubashi* 27
8. India must have its own Model of Parliamentary Democracy —*B K. Kelkar* 31
9. The State of the Republic —*M.V. Kamath* 35
10. Politics of Conversion —*Review Article* 43
11. Social Reality in Islam—A Myth —*B R. Ambedkar* 47
12. The Cultural Dimension of Nationality —*K.S Sudarshan* 51

तस्वीर 6 - साप्ताहिक ओर्गानिजर का गणतंत्र दिवस विशेषांक, 1987

दरअसल, यह विधेयक इसलिए लाया गया क्योंकि एकतरफ 1947 के बाद से ही भारतीय ध्वज की जानकारी को लेकर कही भी जागरूकता नहीं थी। दूसरी ओर उसके गलत इस्तेमाल और अपमान की घटनाएँ सामान्य हो चुकी थी। अतः इंदिरा गाँधी सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से ध्वज के प्रति अनुचित कृत्य को अपराध घोषित किया। अब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों ने भी ध्वज को युवाओं में आकर्षण का केंद्र बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। ओर्गनाइजर द्वारा गणतंत्र दिवस और ध्वज को लोकप्रिय बनाने के लिए कई विशेष अंक प्रकाशित किये गए, जिसकी एक प्रति तस्वीर 6 में देखी जा सकती है।

हालाँकि, अभी भी सामान्य नागरिकों को स्वतंत्र रूप से ध्वज फहराने की सुविधा नहीं थी। इस सन्दर्भ में सबसे पहला कदम 22 सितम्बर 1995 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उठाते हुए कहा कि लोग अपने घरों पर ध्वज फहरा सकते है। न्यायमूर्ति डीपी वाधवा और न्यायमूर्ति एमके शर्मा ने उद्यमी नवीन जिंदल की एक याचिका पर आदेश दिया, "प्रार्थी राष्ट्रीय ध्वज को आदरपूर्वक अपनी संपत्ति पर फहराना चाहता है, इसलिए उन्हें ध्वज सहिंता के अनुर्देशों के आधार पर ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि उनके ऐसा करने से देश के किसी कानून को आघात नहीं पहुँचता है। अतः श्री नवीन जिंदल कि यह याचिका मान ली जाती है और साथ ही यह हिदायत दी जाती है कि प्रार्थी के अपनी संपत्ति पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के अधिकार में हस्तक्षेप न करे।"

हालाँकि, तत्कालीन केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय चली गयी। उच्चतम न्यायालय ने 7 फरवरी 1996 को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाकर, मामला अपने विचाराधीन कर लिया। इस अनुचित प्रक्रिया को राज्य सभा संसद संजय डालमिया द्वारा ससंद में दिए इस वक्तव्य के माध्यम से समझा जा सकता है, "कुछ लोगों ने यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में उठाया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको झंडा फहराने की मंजूरी दे दी और कहा कि हरेक नागरिक को अपने घर और दफ्तर में झंडा फहराने का अधिकार होगा। परन्तु उपसभापति महोदय, मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार ने इस हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेन्ज किया और वह इसको सुप्रीम कोर्ट ले गयी। इसका मतलब है कि वह नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान में उनके नागरिकों को भारत का झंडा अपने घरों पर अथवा दफ्तर में फहराने का अधिकारों हो...... महोदय, मैंने पिछली सरकार से दरख्वास्त की थी और यह कहा था जो आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील भेजी है, उसको वापस ले लीजिये और जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको लागू कर दीजिये।"[41]

अंततः उच्चतम न्यायालय ने निर्णय भी नागरिकों के पक्ष में आया और देश में किसी भी संस्था द्वारा सबसे पहले ध्वज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक केसी सुदर्शन ने 26 जनवरी 2002 को नागपुर में फहराया।[42] (देखे, तस्वीर 7)

[41] राज्य सभा – 16 जुलाई 1996

[42] द टाइम्स ऑफ इंडिया – 28 जनवरी 2002

RSS breaks tradition, hoists national flag on Repoublic Day
Ramu Bhagwat Times News Network
The Times of India (1861-2010); Jan 28, 2002; ProQuest Historical Newspapers: The Times of India
pg. 11

RSS breaks tradition, hoists national flag on Republic Day

By Ramu Bhagwat
Times News Network

NAGPUR: In its 76th year, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) finally silenced its critics by officially unfurling the national flag at its headquarters here on Republic Day. Although a long tradition was broken, gaiety and patriotic fervour marked the flag-hoisting ceremonies at its Mahal office and at the Hedgewar Smruti Bhavan, Reshimbag, on Saturday. The RSS had last observed Republic Day 51 years ago, when the tricolour was hoisted at its headquarters.

According to RSS office in-charge Shirish Vate, the tricolour was hoisted atop the RSS building in 1947 and 1950 when the country attained freedom and was declared a republic respectively. After that Independence Day and Republic Day were seldom officially celebrated, fuelling criticism from several political parties.

Though its a known fact that the two occasions were not celebrated by the RSS, its national spokesman M.G. Vide told *Times News Network* on Sunday: "Officially there was never a restriction. RSS people have been unfurling the tricolour and enthusiastically participating in such functions. Official functions may not have been arranged because the RSS functionaries are mostly not stationed at the headquarters and are constantly travelling on their work".

The two functions on Saturday were low-key affairs with the national flags being hoisted by middle-level local functionaries. But then RSS insiders maintained that the decision to unfurl the tricolour did not signify any change of heart in the Sangh. It continues to swear by the concept of 'Akhand (undivided) Bharat'. A senior activist said the RSS was too pragmatic an organisation to believe that unfurling the tricolour was the ultimate act of patriotism.

Although the RSS constitution does not list it among the six of its approved annual functions, the organisation does pay tributes to the nation on August 14, by observing the 'Akhand Bharat Smruti Divas'. This is done to remind itself that it can never reconcile with partition. Indicating a softening of its stand on the sensitive issue, K.S. Sudarshan became the first RSS chief to unfurl the national flag at a pro-RSS school function on August 15 last.

Denying that the Republic Day functions marked any change of policy, the RSS functionaries said that it had more to do with the Central government's relaxation of rules regarding hoisting of national flag and the permission granted by the Supreme Court to all to unfurl the flag in the Jindal case ruling.

तस्वीर 7 - संघ द्वारा ध्वज फहराने की प्रकाशित खबर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति समर्पण

INDIAN FLAG HOISTED IN DAMAN: MANY TOP LEADERS AMONG 70 MEN ARRESTED IN GOA Numerous Demonstrati
The Times of India (1861-2010); Aug 18, 1955; ProQuest Historical Newspapers: The Times of India
pg. 7

INDIAN FLAG HOISTED IN DAMAN

तस्वीर 8 - विदेशी पुर्तगालियों के खिलाफ भारतीय ध्वज का प्रयोग

पुर्तगाली आधिपत्य का उन्मूलन - अंग्रेजों के चले जाने से ही स्वाधीनता संग्राम समाप्त नहीं हो गया। 2 अगस्त 1954 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 100 स्वयंसेवकों ने दादरा और नगर

हवेली की पुर्तगाली बस्तियों पर हमला कर दिया। इसका नेतृत्व पुणे के संघचालक विनायक राव आप्टे कर रहे थे। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति के माध्यम से सिलवासा के पुलिस मुख्यालय पर धावा बोलकर वहां के 175 पुलिसकर्मियों को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया। उन्होंने उसी दिन वहां तिरंगा फहरा कर, इस इलाके को केंद्र सरकार को सौंप दिया।[43] (देखे, तस्वीर 8)

गोवा मुक्ति संग्राम - वर्ष 1955 में पहली बार तिरंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक ने फहराया था। उनके इस कार्य के लिए पुर्तगालियों ने उन्हें 17 वर्ष लिसबन की एक जेल मैं कैद करके रखा। जबकि गोवा 1961 में मुक्त हुआ। इस दौरान संघ के कई स्वयंसेवकों ने पुर्तगालियों के खिलाफ हमलें में अपनी जान गंवाई। ऐसा ही एक नाम उज्जैन के स्वयंसेवक राजाभाऊ महाकाल का था। गोवा को स्वाधीन करने के लिए जब देश भर से जत्थे गोवा की तरफ बढ़ रहे थे, उन्ही में से एक मध्य भारत से आये एक जत्थे का नेतृत्व राजाभाऊ कर रहे थे। पुर्तगालियों और स्वयंसेवकों के बेच आपसी झडपों में उन्हें भी गोली लगी। उनकी सहयोगी सहोदरा देवी, जिनके हाथ में तिरंगा था, वे भी घायल हो गयी। गोली लगने के बाद भी राजाभाऊ ने सहोदरा के हाथ से तिरंगा अपने हाथों में थाम लिया और इसप्रकार तिरंगा के साथ उन्होंने अपना अंतिम बलिदान दिया।[44] (देखे, तस्वीर 9)

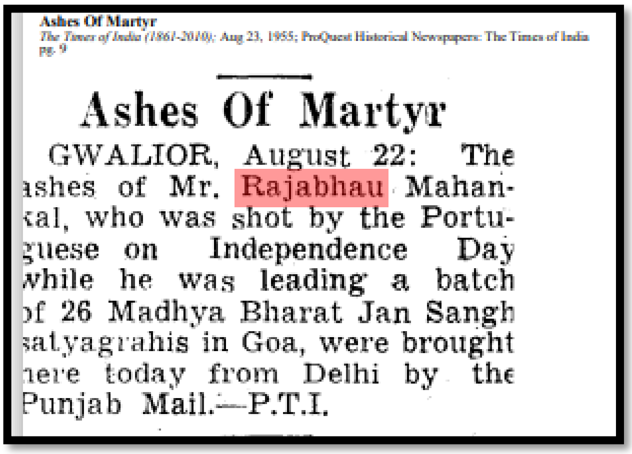
Ashes Of Martyr
The Times of India (1861-2010); Aug 23, 1955; ProQuest Historical Newspapers: The Times of India pg. 9

Ashes Of Martyr

GWALIOR, August 22: The ashes of Mr. Rajabhau Mahankal, who was shot by the Portuguese on Independence Day while he was leading a batch of 26 Madhya Bharat Jan Sangh satyagrahis in Goa, were brought here today from Delhi by the Punjab Mail.—P.T.I.

तस्वीर 9 - राजाभाऊ महाकाल के बलिदान की द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक खबर

जम्मू और कश्मीर का पृथक ध्वज – शेख अब्दुल्ला ने 1947 में राज्य कि कमान मिलते ही, वहां भारत से अलगाववाद के बीज बोने शुरू कर दिए। इसमें राज्य का पृथक संविधान और पृथक झंडा शामिल था। इसके विरोध में 7 नवम्बर 1951 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रजा परिषद द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लघु प्रतिकृतियां का वितरण किया। इस दिन को जम्मू में 'ध्वज दिवस' के रूप में मनाया गया। नेहरू ने 21 नवम्बर 1951 को एक पत्र लिखकर इसकि निंदा की। उन्होंने कहा कि कुछ ख़ास लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग करने की अनुमति है। प्रजा

---

[43] होवी शेषाद्री, कृतिरूप संघ-दर्शन, सुरुचि : नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ 33

[44] उक्त, पृष्ठ 34

परिषद् द्वारा इसका उपयोग किया जाना बेहद अनुचित है।[45] वे यही नहीं रुके, 22 नवम्बर 1951 के रेडियों प्रसारण में इस घटना का उल्लेख भी किया। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने बताया कि ध्वज का उपयोग राजनैतिक दलों द्वारा नहीं किया जा सकता।[46]

गृह मंत्रालय के अधिकारी, एन. एम बुच ने उसी दिन एक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया ध्वज वितरण में किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं किया है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का पेशेवर अथवा व्यापारिक उपयोग नहीं किया है। वे आगे लिखते है, "जहाँ तक ध्वज की बात है तो स्वयं जम्मू-कश्मीर सरकार ने सिद्धांतों का उचित पालन नहीं किया है। सरकार के सभी मंत्री अपने वाहनों और घरों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथं पर नेशनल कांफ्रेंस के ध्वज का इस्तेमाल करते है जोकि नियमों के खिलाफ है। मैं जब वहां के दौरे पर था तो मैंने सचिवालय पर नेशनल कांफ्रेंस के ध्वज को फहरते हुए देखा था। इसकी जानकारी मैंने मुख्य सचिव को दी तो उन्होंने भी इसे गलत स्वीकार किया। इसकी संभावना है कि राज्य सरकार नेशनल कांफ्रेंस के ध्वज को राज्य का ध्वज घोषित कर दे। [47]"

जून 1952 में राज्य की संविधान सभा ने भारत के ध्वज के साथ-साथ नेशनल कांफ्रेंस के ध्वज को भी फहराने का कानून पारित भी कर दिया। इस पृथक ध्वज के संबंध में लिए गए निर्णय का कड़ा विरोध किया गया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, 14-15 जून 1952 को जनसंघ की कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें राज्य सरकार के निर्णय के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में सभी वर्गों के लोगों से भारत सरकार की वर्तमान नीति के खिलाफ आवाज उठाने की भी अपील की गई। बैठक में पूरे भारत में 29 जून 1992 को जम्मू और कश्मीर दिवस के रूप में मनाने और जागरूकता के लिए जनसभाएं और प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया गया।[48]

शेख ने 7 जून, 1952 को सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखते हुए कहा, "यह निर्धारित किया गया कि जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार और लाल रंग का होगा।" शेख के शब्दों पर गौर करना बेहद जरुरी है, जिसमें कहा गया 'जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज'। जबकि भारत में किसी भी राज्य का अपना कोई ध्वज नहीं है, जो भी है वह भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानि तिरंगा है।

दिल्ली में इसके खिलाफ भारतीय जनसंघ की कार्यसमिति ने 14 जून को एक प्रस्ताव पारित किया। जनसंघ का स्पष्ट मानना था कि राज्य की संविधान सभा का फैसला भारत की प्रभुसत्ता और भारत के संविधान की भावना के विरुद्ध है। इसके पीछे एक ठोस वजह भी थी। भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई, 1947 को स्वीकार किया था। भारत की संविधान सभा में

---

[45] भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टेट्स, फाइल संख्या - 1 (42)-K/51

[46] हिंदुस्तान टाइम्स - 23 नवम्बर 1951

[47] भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टेट्स, फाइल संख्या - 1 (42)-K/51

[48] नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, दिल्ली पुलिस रिकार्ड्स, इंस्टॉलमेंट VIII, फाइल - 314

जवाहरलाल नेहरू ही इसके प्रस्तावक थे। उस दिन उन्होंने लंबा और भावुक भाषण दिया, जिसकी पहली पंक्ति थी, 'भारत का राष्ट्रीय ध्वज'। नेहरू ने कहा, "हमने ध्वज की खुबसूरत रुपरेखा के बारे में सोचा, क्योंकि किसी भी देश का प्रतीक खुबसूरत होना चाहिए.....मुझे लगता है कि विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से देखने पर यह बेहद खुबसूरत ध्वज है। यह अनेक सुन्दरता का प्रतीक है, भावनाओं का प्रतीक है और सोच का प्रतीक है। यह प्रतीक किसी व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन को महत्व देता है।"

नेहरू का कहना ठीक था कि देश का ध्वज उसके राष्ट्रीय प्रतीक अथवा पहचान के तौर पर जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि जब देश में पहले से राष्ट्रीय ध्वज मौजूद है तो उसके समानांतर ध्वज की क्या जरुरत? जब प्रधानमंत्री से पत्रकारों ने पूछा कि वे शेख को ऐसा करने से रोकते क्यों नहीं? तो नेहरु जवाब था, "मैं किसी बात को पसंद करता हूँ अथवा नहीं। मैं केवल सलाह दे सकता हूँ। लेकिन वे क्या करते है अथवा नहीं, यह मेरे हाथों में नहीं है।" डॉ मुखर्जी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर इससे भारत की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होती है और यह विभाजनकारी प्रवृतियाँ उत्पन्न नहीं होती, तो यह व्यवस्था पूरे देश के सभी राज्यों में लागू कर देनी चाहिए? उन्होंने सवाल किया कि आखिर शेख अब्दुल्ला की मांग के समक्ष आत्मसमर्पण क्यों किया जा रहा है?

उन दिनों के समाचार-पत्रों की सुर्ख़ियों पर यकीन करे तो कांग्रेस की इच्छा थी कि भारतीय ध्वज जम्मू-कश्मीर में केवल दो अधिकृत अवसरों पर फहराया जायेगा, इसके अलावा वहां राज्य का ध्वज अकेले फहरेगा। जनसंघ सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानना था कि नेशनल कांफ्रेंस अपना अलग ध्वज रखे, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। जबकि सरकार के रूप में शेख अब्दुल्ला को तिरंगा ध्वज ही फहराना होगा।

गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल - वर्ष 1963 में संघ ने गणतंत्र दिवस की परेड में भी हिस्सा लिया था। इस परेड में सबसे आगे प्रधानमंत्री नेहरू भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे थे। (देखे, तस्वीर 10)

तस्वीर 10 - 1963 का गणतंत्र दिवस समारोह

गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने वाले सभी दलों एवं संगठनों पर 27 जनवरी 1963 को प्रधानमंत्री नेहरू ने एक चर्चा में हिस्सा लिया। जिसकी प्रतियां दिल्ली के नेहरु मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उन्होंने ही स्वयं का बात का उल्लेख किया है कि, "लगभग 2000 स्वयंसेवकों ने इस परेड में हिस्सा लिया था।" जबकि, कांग्रेस सेवा दल ने द्वारा परेड में शामिल न होने पर प्रधानमंत्री नेहरू ने नाराजगी भी जताई थी।[49]

गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों के दौरान संघ ने इसमें हिस्सा लेना का मन बनाया तो कुछ कांग्रेसी नेता इसकी शिकायत लेकर प्रधानमंत्री नेहरू के पास पहुँच गए थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें समझाया कि उन्हें रोकना ठीक नहीं है। उनका स्पष्ट किया, "मेरे पास कुछ कांग्रेस वाले आये खाली एक रोज पहले, परसों कि साहब आरएसएस वाले गाजियाबाद और मेरठ, कहाँ-कहाँ से लोग जमा कर रहे है वर्दीनुमा, हमारे पास तो इतने वर्दिया है नहीं। मैंने कहा, भाईसाहब मैं तो नहीं रोक सकता आरएसएस को आने से, बहुत गलत बात है, मैं कैसे रोंकू किसी को आने से।"

काकतीय महाविद्यालय - वारंगल के काकतीय महाविद्यालय में 26 जनवरी 1981 को नक्सलियों ने तिरंगे को उतारने का प्रयास किया। इस कृत्य का सबसे पहले सफल प्रतिरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के जगमोहन रेड्डी ने किया। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ पुलिस केस में मुख्य साक्षी के रूप में अपना नाम अंकित करवाया। नक्सलियों ने उन्हें जान से मारने की धमकियाँ भी दी लेकिन वे बिलकुल भी नहीं डरे। उन्होंने जान से ज्यादा तिरंगे के मन-सम्मान को आगे रखा। हालाँकि, नक्सलियों ने उन्हें जान से मार दिया।[50]

स्वाधीन भारत में ध्वज के विरोध के कुछ प्रमुख घटनाएं

भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाने की सबसे पहली घटना 24 जुलाई 1949 की है। (देखें, तस्वीर 11) तब वामपंथियों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ध्वज को जलाया था।[51] वैसे भी वामपंथी कभी राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कभी निष्ठावान नहीं रहे। इसलिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री बिजोयानंदा पटनायक ने उन्हें चीनी झंडे के इस्तेमाल न करने की सलाह देते हुए कहा, "हमें उम्मीद है कि इस धरती पर अब लाल झंडे नहीं दिखाई देंगे।"[52]

---

[49] नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, पार्टीशिपेशन इन डिस्कशन, 27 जनवरी 1963, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी टेप्स, M/68(i)

[50] होवी शेषाद्री, कृतिरूप संघ-दर्शन, सुरुचि : नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ 113

[51] द टाइम्स ऑफ इंडिया – 25 जनवरी 1949

[52] द टाइम्स ऑफ इंडिया – 31 अक्टूबर 1962

"Reds" Set Fire To National Flag

"Reds" Set Fire To National Flag

DEMONSTRATION IN MADURA

MADURA, July 24.

Demonstrators, described as Communists, hauled down the National Flag from the Jhansi Rani Park this evening and burnt it after failing to set on fire the Madura Congress office nearby.

तस्वीर 11 - वामपथियों द्वारा ध्वज जलाने की घटना की खबर

एमआर मसानी लिखते है, "जब देश के लोगों को प्रतिरोध करने के लिए गाँधी के अहिंसा के रास्ते समझाए जा रहे थे, वही वामपंथी अपनी प्रवृति के अनुरूप हिंसक गतिविधयों में लिप्त थे। मास्को के इन निष्ठावन वामपंथियों ने बम्बई के चौपाटी पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था।"[53]

डॉ. भीमराव आंबेडकर का कहना था, "संविधान की निंदा सामान्यतः कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी ही करती है। वे संविधान की निंदा क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि यह वास्तव में एक खराब संविधान है? 'नहीं', मैं ऐसा नहीं समझता। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित एक संविधान चाहती है। वे संविधान की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है।"[54]

महात्मा गाँधी हमेशा से चाहते थे कि सारे देश का एक झंडा हो और हम सब उसको सलामी दे।"[55] डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी संसद में एकबार नाराजगी जताते हुए कहा था कि कोई इस बात पर जोर नहीं देता की पूरे देश का एक ध्वज होना चाहिए।"[56] जम्मू और कश्मीर के पृथक ध्वज कि चर्चा पहले ही हो चुकी है। कांग्रेस ने इस पृथकतावाद को रोकने के कोई ठोस कदम नहीं उठाये इसलिए वर्ष 1970 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी एक अलग ध्वज की मांग उठाने लगे।[57]

---

[53] एमआर मसानी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डेरेक : लन्दन, 1954, पृष्ठ 42

[54] डॉ. बाबासाहब आंबेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड 13, पृष्ठ 1210

[55] सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय, खंड 88, पृष्ठ 371 (प्रार्थना सभा – 22 जुलाई 1947)

[56] लोकसभा - 17 फरवरी 1953

[57] द टाइम्स ऑफ इंडिया – 21 अगस्त 1970

लक्षद्वीप में एक प्रकाश स्तम्भ होता था, जिसपर 2 अप्रैल 1956 तक यूनियन जैक फहराता रहा। केंद्र कि कांग्रेस सरकार का इस ओर कभी ध्यान ही नही गया। आखिरकार स्वाधीनता के लगभग एक दशक बाद, 2 अप्रैल 1956 को वहां यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहराया गया।[58]

26 जनवरी 1993 को केरल की राज्य सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को केरल के वडक्कनचेरी शहर में इसलिए तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं दी क्योंकि इस स्थान के करीब एक मैदान में कांग्रेस (आई) के नेताओं को ध्वज फहराना था। इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री पीएम सईद ने दी थी।[59]

देशभर में ध्वज के अपमान को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। एकबार राज्य सभा में केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, "राष्ट्रीय ध्वज का तथाकथित अनादर किये जाने के उदाहरण समय-समय पर ध्यान में आये है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय ध्वज के तथाकथित अनादर किये जाने की जो तीन शिकायतें ध्यान में आई, वे है, (1) हसनपुर ब्लाक, जिला समस्तीपुर, बिहार; (2) लखी सराय, जिला मुंगेर, बिहार; और (बरेली छावनी, उत्तर प्रदेश)।[60]

सरकारी संस्थाओं द्वारा ध्वज संहिता उल्लंघन के कई मामले सामने आ चुके है। नियमों के अनुसार सरकारी इमारतों पर ध्वज फहराने की अनुमति थी लेकिन बॉम्बे म्युन्सिपल कारपोरेशन के मुख्य ईमारत पर 1962 तक कोई ध्वज नहीं फहराया गया। यह जानकारी एसजी भरवे ने महाराष्ट्र विधानसभा को दी।[61] महाराष्ट्र में 2 अक्टूबर 1962 को महात्मा गाँधी जयंती के अवसर पर पुलिस मुख्यालय और 45 थानों में से 18 में ध्वज नहीं फहराया गया था। [62] उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद इलाके में 15 अगस्त 1983 को नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी ने गलत तरीके से ध्वज फहराया था।[63]

कर्णाटक के हुबली ईदगाह मैदान में 15 अगस्त 1994 को भाजपा ने वहां ध्वज फहराने का कार्यक्रम रखा। यह जमीन वहां की अंजुमन को 1922 में मिली लेकिन उन्होंने वहां कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। तत्कालीन कांग्रेस के नेता अजित जोगी ने इस मामले को इतना तूल दिया कि उन्होंने इस विषय को राज्यसभा में 12 अगस्त 1994 को उठा दिया। मुस्लिम संगठनों ने ध्वज फहराने कि निंदा कि और इलाके में कई दिनों तक तनाव कि स्थिति बनी रही। राज्य सरकार ने 'ध्वज फहराने के जुर्म' में कई भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

[58] केवी सिंह, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उपकार प्रकाशन : आगरा, पृष्ठ 97

[59] राज्य सभा – 3 मार्च 1993

[60] राज्य सभा – 24 फरवरी 1993

[61] द टाइम्स ऑफ इंडिया – 30 जनवरी 1962

[62] द टाइम्स ऑफ इंडिया – 20 फरवरी 1963

[63] राज्य सभा – 26 अगस्त 1983

वर्ष 2008 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भारतीय ध्वज के सामने पैर रखने हुए एक तस्वीर वायरल हुई थी। (देखे, तस्वीर 12)

तस्वीर 12 - सानिया मिर्जा द्वारा ध्वज का अपमान